न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 94/2021

1 मोहम्मद अली पुत्र नजर अली निर्वाण जाति मुसलमान निवासी वार्ड न 13 मोहल्ला जमींदारान सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इकबाल हुसैन पुत्र मरहूम दीना उर्फ दीन खां।
2 गफार पुत्र मरहूम कलू खां।
3 खतीजा बानो पुत्र मरहूम कलू खां।
4 जुबैदा बानों पुत्री मरहूम कलू खां।
5 मोहम्मद युसुफ पुत्र मरहूम निसार अहमद।
6 मोहम्मद युनुस पुत्र मरहूम निसार अहमद।
7 मोहम्मद वाहीद पुत्र मरहूम निसार अहमद।
8 मोहम्मद शाहीद पुत्र मरहूम निसार अहमद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 17 मोहल्ला हुसैनगंज सीकर तहसील व जिला सीकर।
9 तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दिनांक 12.11.2021 मुकदमा नम्बर 07/2021 बउनवानी इकबाल हुसैन वगैरह बनाम गफार वगैरह जिसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट मंजूर किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खांन, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन कुमार पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 531 रकबा 0.90 हैक्टेयर के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी रेस्पोडेंट का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कभी भी प्रार्थी रेस्पोडेंट अथवा उनके पूर्वज दीन खां के नाम दर्ज नही रही है। प्रार्थी ने दीन खां के फुट स्टेप पर दावा व टी.आई. प्रस्तुत की है। प्रार्थी के वाद कथन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र वाद बाहुल्यता रोकने का अंकन कर विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रमाणित नही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2015 पेज 210 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के साथ खसरा नम्बर 304 वर्तमान 520 प्रार्थी के पिता के नाम व काश्त में दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 376 में विवादित भूमि का अंकन नही किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 305 अपीलांट के नाम दर्ज होने का विधिक आधार नही है। पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा रखा जाना विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 513 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि कभी भी प्रार्थी रेस्पोडेंट अथवा उनके पूर्वज दीन खां के नाम दर्ज नही रही है। प्रार्थी ने दीन खां के फुट स्टेप पर दावा व टी.आई. प्रस्तुत की है। प्रार्थी के वाद कथन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र वाद बाहुल्यता रोकने का अंकन कर विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रमाणित नही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्तकार को संतोषप्रद कारण के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर खातेदारी काश्तकारी की भूमि के उपयोग उपभोग से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/06/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर